B-2
L-9
Polity

* संविधान : एक प्रगतिशील दस्तावेज :-

• अनुच्छेद 15(1) तथा अनुच्छेद 15(2) में यह उल्लेखित है कि व्यक्ति के साथ केवल धर्म, कुलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान नागरिक के रूप में होनी चाहिए। लेकिन समाज में विद्यमान विषमताओं के कारण महिलाओं और बच्चों के उत्थान का भी प्रावधान किया गया है, जो विधि के समान संरक्षण का उदाहरण है। [अनुच्छेद 15(3)]

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR